उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
अधिसूचना

08 अक्टूबर, 2012 ई0

संख्या 810/IX/176/2007–12–श्री राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2000) की धारा 90 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. नियम 5 के खण्ड (ङ) का संशोधन–उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के खण्ड (ङ) के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्न नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से इस प्रकार प्राप्त बैंक ड्रॉफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा।	(ङ) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त बैंक ड्रॉफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को देहरादून स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस निमित खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा : परन्तु यह कि यदि किसी संभाग/उप संभाग अथवा चैकपोस्ट पर सम्बन्धित बैंक की सीबीएस शाखा उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र का अधिकारी बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर सीधे खाते में धनराशि जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। खाते में अर्जित ब्याज, यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा और उक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नियम 5, 7 एवं 9 में उल्लिखित कार्यों के प्रयोजनार्थ किया जायेगा।

3. नियम 6 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 6 के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्न नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यूजर चार्ज की प्राप्ति रसीद राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड़ बही में की जायेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए बैंक	यूजर चार्ज की प्राप्ति रसीद, राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड़ बही में की जायेगी। जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा राज्य स्तरीय

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ड्राफ्ट्स का अभिलेख रखा जायेगा, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धित (क) बैंक पासबुक, (ख) चैकबुक रजिस्टर, (ग) ट्रेजरी चालान रजिस्टर, (घ) धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख रखे जायेंगे।	समिति को भेजे गए बैंक ड्राफ्ट्स अथवा खाते में नकद जमा करायी गई धनराशि के अभिलेख भी रखे जाएंगे, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख भी रखे जायेंगेः— (क) बैंक पासबुक, (ख) चैकबुक रजिस्टर, (ग) राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का विवरण एवं सम्बन्धित अभिलेख, (घ) स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, (ङ) दैनिक रोकड़ बही, (च) ऑडिट आदि सम्बन्धित अभिलेख, (छ) अन्य अभिलेख जैसा कि राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

4. नियम 7 का संशोधन—मूल नियमावली के नियम 7 में स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (1) के खण्ड (एक) (दो) एवं (तीन) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. (1) (एक) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण। (दो) जनरेटर के पी0ओ0एल0 और आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था। (तीन) सर्वर रूम में स्थापित ए0सी0 की मरम्मत की व्यवस्था।	7. (1) (एक) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण। (दो) जनरेटर का क्रय, मरम्मत एवं जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था। (तीन) सर्वर रूम हेतु ए0सी0 का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था।

(2) खण्ड (दस) को निरसित करते हुए निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्:—

(दस) कम्प्यूटर एवं अभिलेखों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्रों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(ग्यारह) कार्यालयों, प्रवर्तन दलों एवं जाँच चौकियों हेतु कम्प्यूटर लैपटॉप, इन्टरनेट का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(बारह) विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु यूपीएस एवं बैट्री का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(तेरह) कम्प्यूटरों के माध्यम से कार्य संचालन हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर, विशिष्ट सॉफ्टवेयर, फायरबॉल, एन्टीवायरस आदि सॉफ्टवेयर का क्रय एवं अनुरक्षण।

(चौदह) कार्मिकों की उपस्थिति कम्प्यूटरीकृत रूप मे दर्ज करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक एटेन्डेंस सिस्टम का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(पन्द्रह) कार्यालय में आने वाले आवेदकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी हेतु एलसीडी/प्रोजेक्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सोलह) कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यालयों एवं जांच चौकियों में सीसीटीवी सम्बन्धी उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सत्रह) कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाने हेतु नेटवर्किंग एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(अठ्ठारह) कम्प्यूटर संचालन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

(उन्नीस) सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य।

(3) उपनियम (2) के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. (2) राज्य स्तरीय समिति प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अन्तिम होगा।	7. (2) राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं राज्य स्तरीय कार्यालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अन्तिम होगा।

5. नियम 8 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 8 के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सीमा के अन्तर्गत संभागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एक समय में ₹ 1.00 लाख एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप संभागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक बार ₹ 50 हजार की सीमा तक कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।	(1) राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि जिला स्तरीय समिति द्वारा इस निमित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते में रखी जाएगी। इस खाते में अर्जित ब्याज भी यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा। (2) इस खाते में उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत संभागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एक समय में ₹ 1.00 लाख एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप संभागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक समय ₹ 50 हजार की सीमा तक नियम 7 में वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा : परन्तु यह कि यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी जिला स्तरीय समिति के वार्षिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है तो धनराशि व्यय करते समय उपरोक्त पुनर्अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी : परन्तु यह और कि जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण राज्य स्तरीय समिति की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. नियम 10 का संशोधन—मूल नियमावली के नियम 10 के स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) किसी भी दशा में यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।	(2) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति एवं जिला स्तरीय प्रबन्ध समितियों द्वारा किसी भी दशा में यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि तथा खाते में अर्जित ब्याज से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 810/IX-1/176/2007-12**, dated October 08, 2012 for general information :

NOTIFICATION

October 08, 2012

No. 810/IX-1/176/2007-12--In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) and (2) of section 90 read with sub-section (1) and (2) of Section 6 of the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000), the Governor is please to amend The Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) Rules, 2011 and make the following rules :--

The Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) (First Amendment) Rules, 2012

1. Short title and commencement--(1) These rules may be called the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) (First Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Clause (e) of Rule 5--For clause (e) of rule 5 of the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) Rules, 2011 (herein-after referred to as the Principal Rules) set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
(e) the bank drafts received by the State Level Management Committee and the user charges collected at the Transport Commissioner Office shall be deposited in the Savings Bank Account opened in the main Branch of State Bank of India at Dehradun by the Additional Transport Commissioner authorized by the Transport Commissioner in this behalf;	(e) the bank drafts received by the State Level Management Committee and the user charges collected at the Transport Commissioner Office shall be deposited in the Savings Bank Account opened in any Nationalized Bank at Dehradun : Provided that where the facility of CBS Branch of said Bank is available, the money received as user charge

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
	may be deposited directly to the bank account in place of bank draft by the concerned officer and the information in this regard shall be sent to Transport Commissioner/ Chairmen on monthly/progressive basis, The amount received as the interest, will be assumed as a part of user charge and all the amount will be utilized for the purpose specified in Rule 5, 7 and 9.

3. Amendment of Rule 6--For rule 6 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
6. The State Level Management Committee shall issue acknowledgement receipt of user charges in the specified form and shall enter it in the cashbook kept for the purpose. All bank draft sent to the State Level Committee shall be recorded and verified by the concerned officer incharge of the office or by an officer nominated by him. In addition to it the State Level Committee shall keep the following records of the user charge :– (A) Bank Pass Book, (B) Cheque Book Register, (C) Treasury Challan Register and (D) Records of the amount utilized.	6. The acknowledgement receipt of user charge shall be issued in the form specified by the State Level Management Committee and shall enter it in the cashbook kept for the purpose. All bank draft sent to the State Level Committee or the documents of the cash deposited in the account shall be recorded by district level management committee and shall be verified by the concerned officer incharge of the office or by an officer nominated by him. In addition to it the State/District Level Committee shall keep the following records of the user charge :-- (A) Bank Pass Book, (B) Cheque Book Register, (C) Records of meetings or State Level/District Level Management Committees, (D) Records of the amount sanctioned and utilized, (E) Daily cash book, (F) Records related to Audit, (G) Other records as may be specified by state level management committee.

4. Amendment of Rule 7--In rule 7--

(1) For Clause (a) (b) and (c) of sub rule (1) of rule 7 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
7(1). (a) Repair and maintenance of the computer, printer and accessory apparatus;	7(1). (a) Purchase, Repair and maintenance of the computer, printer and accessory apparatus;
(b) casual reapir of the generator and fuel for it;	(b) Purchase, Repair and maintenance of the generator and fuel for it.
(c) repair of the air conditioner installed in the server room.	(c) Purchase, Repair and maintenance of the air conditioner for server room.

(2) After cancelling clause (j) of sub rule (I) following clauses shall be inserted, namely:--

(j) Purchase, Repair and maintenance of Fire extinguishers for the security of computers, hardware and records;

(k) Purchase, Repair and maintenance of computer, laptop, internet for offices, enforcement squad and transport check posts;

(l) Purchase, Repair and maintenance of UPS and Battery for uninterrupted supply of electricity;

(m) Purchase, Repair and maintenance of system software, specific software, operational software, firewall, antivirus etc. for smooth operation of computers;

(n) Purchase, Repair and maintenance of biometric attendance system for record of attendance of employees in computerized manner;

(o) Purchase, Repair and maintenance of LCD/Projector and peripherals for demonstration of Road Safety rules to the applicants;

(p) Purchase, Repair and maintenance of CCTV for the security of offices and check posts;

(q) Purchase, Repair and maintenance of Networking items to establish link between the computers;

(r) To provide computer training to the employees of the department;

(s) All other works related to information technology.

(3) For sub rule (2) of Rule 7 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely:--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
7(2) The State level committee shall consider the proposal and take decision, which shall be final.	7(2). The State level committee shall consider the proposal received from District level committee as well as state level office (Transport Commissioner office) and take decision, which shall be final.

5. Amendment of Rule 8--For rule 8 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely:--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
8. Within the limits of amount provided by the State Level Committee, the Regional Transport Officer may have the power to purchase the material for user of computer up to the limit of Rs. one lakh and the Assistant	8 (1) District Level Management Committee shall deposit the funds, received from State Level Management Committee, in Savings Bank Account opened in any Nationalized Bank for the purpose.

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
Regional Transport Officer, In charge of the sub Regional Transport Office, up to the limit of Rs. fifty thousand at a time, subject to the provisions of The Uttarakhand Procurement Rules, 2008. If the purchase exceeds the above limit the permissions of the State Level Committee shall be obligatory.	(2) Within the limits of amount provided in the above account, the Regional Transport Officer may have the power up to the limit of Rs. one lakh and the Assistant Regional Transport Officer, In charge of the sub Regional Transport Office, up to the limit of Rs. fifty thousand at a time, to purchase the material specified in Rule 7, subject to the provisions of The Uttarakhand Procurement Rules, 2008. If the purchase exceeds the above limit the permissions of the State Level Committee shall be obligatory : Provided that, if the District Level Management Committee has obtained the approval of State Level Management Committee on yearly proposal. The re-approval shall not required at the time of utilization of funds : Provided also that the detail of sanctioned and utilization of funds shall be produced by District Level Management Committee in the annual general body meeting of State Level Management Committee.

6. Amendment of Rule 10--For sub rule (2) of Rule 10 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
(2) Expenditures from user charges shall not exceed the amount collected.	(2) Expenditures by the State Level Management Committee and District Level Management Committee shall not exceed the amount collected as user charge and interest received in the said account.

By Order,

DR. UMAKANT PANWAR,

Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 20—10—2012, भाग—1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 21 परिवहन/768—06—12—2012—160 (कम्प्यूटर/रीजियो)।